FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

श्रवणकुमार बनाम राजकुमार आदि

किस्म –प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा GCMS No.- 2024/ ७० मुकदमा नं – 36 / 24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म
15.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री श्यामसुन्दर खण्डेलवाल उपस्थित। दौरान बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 12 खेत खसरा संख्या 598 रकबा 11.3552 हैक्टेयर रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ जिला चूरू का रहनवय करना चाहते हैं। इसलिए दावा विभाजन व चिरनिषेधाज्ञा व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे। अतः अप्रार्थीगण की ओर से भूमि का किसी प्रकार का दुरूपयोग खुर्द–बुर्द बेचान नहीं करे। इसलिए अप्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसगंत–विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2073–2076 रोही ग्राम भोजलाई के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादगत खेत खसरा संख्या 598 में प्रार्थी रिकॉर्डेड सहखातेदार है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है तथा दोनों पक्षों के मध्य विवाद विद्यमान है। प्रकरण की इस परिस्थितियों को देखते कोई अनावश्यक विवाद पैदा न हो। गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना न्यायालय अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा खेत खसरा संख्या 598 तादादी 11.3552 हैक्टेयर रोही ग्राम भोजलाई तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की भूमि को आज दिनांक की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामील को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना–पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा आगामी तारीख पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र व रसीद भी पेश करें। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से पेश किया हुआ मानकर एकपक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियों के तहत यह अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एकपक्षीय आदेश की तामील की उपरोक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय में प्रमाण पेश करे तथा आदेश 39 नियम (3)(क) के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें अन्यथा अन्तरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियों में यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है, में परिवर्तन की दशा में संशोधन कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 17.05.2024 को पेश हो। (ह०) उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़	
29/04/24	प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रा० पत्र [illegible] लेने का प्रस्तुत किया [illegible] पेशी में ली गई। साथ ही एक प्रा० पत्र [illegible] जिस पर प्रार्थी को [illegible] पर स्थित है इसलिए मुताबिक प्रार्थना [illegible] विड्रावल [illegible] इसी स्टेज पर खारीज किया जाता है पत्रावली फैसलशुदा होकर दाखिल दफ्तर हो (ह०) उप खण्ड अधिकारी सुजानगढ़	Sarwan Kumar [illegible] [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Verma
Date: 2024.05.17 17:04:26 IST
Reason: SelfAttested